

पत्रांक 10/वी-31/2012 पत्र
 निदेश संख्या,
 मानव संसाधन विकास विभाग।

सेवा में,

श्री हेमचन्द्र झा,
 सरकार के संपुस्तक अधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
 केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
 शिक्षा केन्द्र कम्प्यूटिणी सेक्टर, प्रीत, पिनार,
 विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092.

पटना, दिनांक 24-6-05

विषय- राज्य के निजी विद्यालयों को केन्द्रीय बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया है कि दिनांक 23-6-05 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अंतर्गत में विद्यमान निजी विद्यालयों को सीबीईईओईओई, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना किसी शर्त के /स्वातंत्र्य निर्गत करने का निर्णय लिया गया-

- 1: गोटिल बालिक स्कूल वीरपैतो, भाजपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 2: श्री अशोक विद्यालय स्कूल, गोपाला रोड अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 3: डॉ० ओ० कारमेल आवासीय उच्च विद्यालय, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 4: विवेकानन्द मिशन स्कूल, विने, निहार, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 5: एच० ए० वी० विद्यालय, निहार, भाजपुर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 6: सुमेरु प्रज्ञान विद्यालय, नई दिल्ली, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 7: वन्दना विद्यालय, नई दिल्ली, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 8: मानव भारती नेशनल स्कूल, नई दिल्ली, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।
- 9: गंत मेरिस स्कूल, अयोध्या, अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया। सीबीईईओईओई के निर्णय के अंतर्गत में सीबीईईओई के निर्णय के अंतर्गत में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

के द्वारा सीबीईईओईओई ने सम्बन्धता प्राप्त करने के पूर्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायें या प्रशिक्षित शिक्षकों नियुक्ति कर ली जायगी।

प्रधानी, डॉ० बाबू विद्यालय के अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

इस संबंध में सम्बन्धता हेतु निर्णय लिया गया।

(Handwritten signature)

विश्व विद्यालय स्कूल, जिला...

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय... पर लिया गया कि विद्यालय को... से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व... संबंधी शर्त पूरा कर लेना और... हो जायेंगे।

11: मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल,
फ्लोर्ट एरिया, जहाँनाबाद।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय... शर्त पर लिया गया कि विद्यालय के द्वारा... वर्ष बाद जब नया भवन बन जायगा उस समय... विद्यालय, नये भवन में हस्तांतरित होने की... सूचना सरकार को देगे।

12: संत रेमिजियस एडुकेशनल सोसाइटी
क्रिचन क्वार्टर, वर्च रोड, बोर्ड नं-
3, पश्चिमी बम्पारण।


अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय... लिया गया।

13: सेंट जॉन्स रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल,
सोनागोपालपुर, तम्पतक, पटना

इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी० बी०एस०ई बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व... विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।

14: शान्ति निकेतन जुबली स्कूल, शान्तिपुरी
पोलिहारी पूर्व बम्पारण

इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि विद्यालय के द्वारा सी० बी०एस०ई बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त करने के पूर्व... विद्यालय में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षित हो जायेंगे या प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जायगी।



§ हेमन्त सिंघ §
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमांक 357

पटना, दिनांक 24-6-05

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रति वर्ष इस से एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायगा।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है-

1- विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षा/शिक्षक/कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो।

2- अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित आगजात एवं अधिदेखी जाती वाली जमीनें अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर,

3- विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस भव के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो,

19 विद्यार्थ्य हेतु प्रशिक्षण में संलग्न हो जो राज्य के विद्यार्थी राज्य सरकार द्वारा प्रदायित की जायेंगे के विषय में प्रस्ताव है। प्रस्ताव में विद्यार्थी को प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित है, जो राज्य सरकार द्वारा प्रदायित की जायेंगे के विषय में प्रस्ताव है।

क्रमांक 357

प्रतिनिधि सचिव/सिद्धांत, गठन/सिद्धांत, गठन/सिद्धांत सचिव, प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तावित है।

§ सचिव की § प्रस्ताव
§ प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव

क्रमांक 357
प्रतिनिधि सचिव सचिव के अंतर्गत प्रस्तावित है।

प्रस्ताव, सिद्धांत, गठन/सिद्धांत

§ सचिव की § प्रस्ताव
§ प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव

§ सचिव की § प्रस्ताव
§ प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्ताव